ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December- 2017
Innovation The Research Concept

भारत में ग्रामीण विकास : मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

एच.जी.सेन
प्रभारी प्राचार्य,
विभाग————लिखे
शासकीय महाविद्यालय,
बण्डा

सारांश

भारत गाँवों का देश है, जहाँ देश की 72 प्रतिशत आबादी जीवन बसर करती है और इण्डिया वह शहरी क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या का 28 प्रतिशत भाग निवासरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। 72 प्रतिशत आबादी आज भी जीवकोपार्जन के लिए कृषि एवं अंशतः कृषि कार्यों पर निर्भर है।

आज भारत तथा इण्डिया में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। एक तरफ भारत अभाव की जिन्दगी जी रहा है तो दूसरी ओर इण्डिया के पास अत्याधुनिक उपभोक्ता सामग्री व सुख–सुविधाओं की काई कमी नहीं है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि गत 300 वर्षों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मध्य काफी विषमता बढ़ी है। भारत का उपभोक्ता बाजार 15–20 करोड़ शहरी और कस्बों के उपभोक्ताओं तक ही सीमित है। ग्रामीण परिवेश के अधिकांश रहवासी अभी उपभोक्ता वस्तुओं की केवल कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान में वे जीवन जीने के लिये अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं।

मुख्य शब्द : मुख्य शब्द लिखें

प्रस्तावना

गाँव भारतीय अर्थव्यवस्था का अधार हैं। इसलिए ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्र पात्र महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ, ''भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।'' जब तक गाँवां का विकास नहीं होगा तथा गाँव पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।

महात्मा गांधी जी का उक्त कथन इस बात पर आधारित था कि देश की लगभग 3/4 जनसंख्या लगभग गाँवों में निवास करती है तथा लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में भारतीय कृषि एवं भारतीय गाँव काफी पिछड़े हैं, अतः यदि हम देश का समग्र विकास करने के बारे में सोचते हैं, आर्थिक खुशहाली के बारे में वचनबद्ध हैं तथा सामाजिक एवं राजनैतिक पिछड़ापन दूर करने तथा भारत व इण्डिया के अन्तर को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं तो सर्वप्रथम ग्रामीण विकास की ओर ध्यान देना होगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रम

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक के बाद एक आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक रहा है। सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रम यहाँ दिया जा रहा है–

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952
2. गहन कृषि जिला कार्यक्रम, 1961
3. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1962
4. गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, 1964
5. उन्नत किस्म बीज कार्यक्रम, 1966
6. लघु कृषक विकास अधिकरण, 1969
7. सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के विकास हेतु अभिकरण, 1969
8. ग्रामीण कार्य योजना, 1970
9. सूखे की सफलता वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम
10. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1974
11. बीस सूत्री कार्यक्रम, 1975
12. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, 1975

13. काम के बदले अनाज कार्यक्रम, 1977
14. अत्योदन कार्यक्रम, 1977
15. मरु विकास कार्यक्रम, 1977
16. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1978
17. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
18. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1978
19. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, 1979
20. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980
21. बायो गैस कार्यक्रम 1981–यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ईधन की पूति तथा प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
22. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, 1981–यह कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंक से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
23. ग्रामीण भूमिहीन स्वरोजगार गारण्टी कार्यक्रम, 1983
24. जवाहर रोजगार योजना, 1989
25. रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को राहत प्रदान करने हेतु रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू किया गया।
26. ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम, 1993
27. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1993
28. साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम, 1993
29. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1993
30. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, 1999
31. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
32. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
33. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
34. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल परियोजना
35. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
36. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, 2005
37. भारत निर्माण कार्यक्रम
38. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम

आज जब कि हमारे देश की लोकप्रिय सरकार नए भारत का निर्माण समाजवाद की नींव पर करना चाहती हैं, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मानव समाज तथा अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियों की दयनीय स्थिति की दीर्घकाल तक उपेक्षा नहीं की जा सकती।

विगत कुछ वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को निरन्तर प्रभावी बनाया। ग्राम के गरीबों की भौतिक संख्या उतनी ही बनी हुई है जो कि लगभग 24.4 करोड़ है। इतनी बड़ी संख्या में गरीबी का प्रतिशत एवं संख्या रहने से देश के विकास पर इसका प्रभाव समझा जा सकता है। इस स्थिति पर स्वरोजगार कार्यक्रमों को महत्व देकर गरीबी दूर करने एवं आय बढ़ाने तथा आय बढ़ाने हेतु विकास से जुड़ी 6 स्वरोजगार योजनाओं को एक योजना में समायोजित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र शासन द्वारा 1 अप्रैल 1999 को सम्पूर्ण भारत में जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–

भारत गाँवों में बसता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़)	कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत
1951	36.1	82.61
1981	68.5	76.29
1991	84.6	74.00
2001	102.7	72.20

जनसंख्या का विवरण

क्र.	देश/राज्य	2001 के आँकड़े		
		कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
1.	भारत	1027015247	53127708	495738169
2.	मध्यप्रदेश	60385118	31456876	28928245

कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भाग

क्र.	राज्य	जनसंख्या	
		शहरी	ग्रामीण
1.	तमिलनाडु	43.9	56.1
2.	महाराष्ट्र	42.4	56.6
3.	गुजरात	37.4	62.6
4.	कर्नाटक	34	66
5.	पंजाब	34	66
6.	हरियाणा	29	71
7.	पश्चिमी बंगाल	28	72
8.	आंध्रप्रदेश	27	73
9.	मध्यप्रदेश	27	73
10.	केरल	26	74
11	उत्तरांचल	26	74
12	राजस्थान	23	77
13	झारखण्ड	22	78
14	उत्तरप्रदेश	21	79
15	छत्तीसगढ़	20	80
16	उड़ीसा	14.9	85.1
17	बिहार	10.5	89.5
18	हिमाचल प्रदेश	9.8	9.2
19	सम्पूर्ण भारत	27.75	72.25

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तमिलनाडू एवं महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 44 एवं 42 है जबकि भारत का प्रतिशत 28 है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 26 था। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण शहरी इलाकों में मंदी वस्तुओं का प्रसार, पर्यावरण प्रदूषण, बीमारी, पेयजल एवं सफाई आदि की समस्याएँ बढ़ रही हैं। 2001 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। तालिका 03 से स्पष्ट है कि हिमांचल प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लोक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। राजस्थान की

जनसंख्या का 77 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 23 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं।

योजना काल में ग्रामीण विकास संबंधी नीतियाँ

क्र.	योजना	नीति
1	प्रथम योजना 1991–56	सामुदायिक विकास
2	द्वितीय योजना 1956–61	सहकारी कृषि स्थानीय सहभागिता
3	तृतीय योजना 1961–66	पंचायती राज तथा प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण
4	चतुर्थ योजना 1969–74	विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रम
5	पाँचवी योजना 1974–79	न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा का सूत्रपात
6.	छठी योजना 1980–85	ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ करने पर जोर, निर्धनता उन्मूलन क्षेत्रीय विषयमताओं में कमी लाना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
7.	सातवीं योजना 1985–90	रोजगार के नये अवसरों के सृजन पर जोर, आय बढ़ाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम भूमि सुधार, ग्रामीण स्तर पर लोगां की सहभागिता।
8.	आठवीं योजना 1992–97	रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान, क्षेत्रीय विकास पर जोर, गाँवों के समूह की पहचान, स्थानीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं शुरू करना, पंचायती राज संस्थाओं की नई प्रभावकारी भूमिका।
9.	नौवीं योजना 1997–2002	सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि के वाहन के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, निर्धनता तथा बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष ध्यान केन्द्रित करना।
10.	दसवीं योजना 2002–2007	वर्ष 2007 तक निर्धनता अनुपात में 5 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाना, लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराना तथा कृषि विकास को प्राथमिकता देना।

ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम

आज जब कि हमारे देश की लोकप्रिय सरकार नए भारत का निर्माण समाजवाद की नींव पर करना चाहती है, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मानव समाज तथा अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियों की दयनीय स्थिति की दीर्घकाल तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

विगत कुछ वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को निरन्तर प्रभावी बनाया जा रहा है। ग्राम के गरीबों की भौतिक संख्या उतनी ही बनी हुई है जो कि लगभग 24.4 करोड़ है। इतनी बड़ी संख्या में गरीबों का प्रतिशत एवं संख्या रहने से देश के विकास पर इसका प्रभाव समझा जा सकता है। इस स्थिति पर स्वरोजगार कार्यक्रमों को महत्व देकर गरीबी दूर करने एवं आय बढ़ाने हेतु विकास से जुड़ी 6 स्वरोजगार योजनाओं को एक योजना में समायोजित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र शासन द्वारा 1 अप्रैल 1999 को सम्पूर्ण भारत वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई।

पूर्व संचालित योजनाओं में से संभवतः यह सबसे व्यापक तथा बहुउद्देशीय योजना है, जिसका सही क्रियान्वयन न केवल लाखों गरीब जीवन–यापन कर रहे युवाओं के स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि ग्रामीण अंचल में साहूकारी प्रथा को समाप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे देश में सशक्तिकरण को बल मिलेगा। देश में समूह रोजगार (समूह एवं व्यक्तिगत लघु उद्योग) को भी नई दिशा मिलेगी।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू जैसे–गरीबों का स्वसहायता समूह में गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और विपणन शामिल है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक निश्चित उद्देश्य गरीबों की पारिवारिक आय में सुधार करना और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के संसाधनों के अनुकूल बुनियादी स्तरों पर डिजाइन पर छूट देना है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सहायता उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें आय सर्जक परिसम्पत्तियाँ मिल सकें। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक जागरूकता की प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी स्तर पर गरीबों के संगठन पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक जागरूकता गरीबों का स्वयं का सहायता समूह जिसमें वे पूर्णततः और प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेते है, बनाने में सहायता प्रदान करती हे। इस योजना में निर्धारित मुख्य क्रियाकलापों में समूह दृष्टिकोण अपनाते हुए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा जिला स्तर पर परिषद/डी.आर.ए. तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाता है।

स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विभाग/कौशल उन्नयन करना इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।

वर्ष 2000–01 से 2007–08 के दौरान स्वर्ण जयंती स्वरोजगार का वर्षवार निष्पादन

मद	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–02	2004–08	2005–06	2006–07	2007–08	2004–08
रिलीज	545	537	706	758	2585	997	1030	1188	1658	4913
कुल उपलब्ध निधियाँ	1608	1300	1178	1215	5301	1511	1539	1725	2428	7223
उपयोग की गई कुल निधियां	1118	570	921	1043	4052	1291	1339	1424	1951	6005
जुटाए गए कुल ऋण	1459	1330	1184	1302	5275	1658	1823	2291	2353	8525
कुल निवेश	2161	1995	1790	2015	7961	2517	2728	3262	4032	12539
सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या	1006152	937468	826267	896895	3666782	1115528	1151116	1651926	1696112	5653082

मध्यप्रदेश राज्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2000–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2004–08	2000–08
34.21	34.25	42.33	43.57	155	55.16	57.23	65.67	99.65	237.3	432.5

वर्ष 2007–08 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश शासन को प्राप्त आवंटन का प्रयोग म.प्र. सरकार द्वारा पूर्ण किया गया।

निष्कर्ष

सम्पूर्ण भारत में म.प्र. एक ऐसा राज्य है जिसे स्वयं माननीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली ने म.प्र. सरकार को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई दी है।

अध्ययन का उद्देश्य

सन् 1999 में ''ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का फिर से नाम बदलकर ''ग्रामीण किवास मंत्रालय'' रखा गया। यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है। समय के साथ–साथ कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की जरूरतों का ध्याान रखते हुये कार्यक्रमों में संशोधन किये गय और कई कार्यक्रम लागू किये गये। इस मंत्रालय का मुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना तथा ग्रामीण आबादी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को वेहतर जीवन स्तर मुहैया करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण जीवन और कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रमों को तैयार करके उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके की जाती है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के पांच कारकों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़के। पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, सरकार को इन सभी कारकों को शीघ्र अतिशीघ्र क्रिर्यान्वित करे और अपने दायित्वों का निर्वाहन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा द्विमासिक रचना 2010 भोपाल, पृ. 60*
2. *प्रतियोग्यता दपर्ण 2016, नई दिल्ली, पृ. 85–93*
3. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भोपाल, 2000*
4. *rural.nic.in/netural/rural/index.aspx*
5. *योजना पत्रिका मासिक, नई दिल्ली, 2015, पृ. 35*